

तारीख
हुक्म

18-6-25

अनुसूचित जाति कर्मचारी

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

द्वारा

क्र. - 175/2024

पञ्जावली पेय हुक्मी। वकील वादी अनुपाद्यित

प्रकरण में कोर्ट समाप्त तक क्र-2 की वार-2 भावना
विद्वानापी गयी। वकील वादी में से कोर्ट द्वारा मरालत
नही रामे हैं। अतः वकील वादीगण की अनुपाद्येती में राका
बाबत घोषणा, दुरस्ती राजस्व रिचर्ड (अन्वयित द्वारा
७४ राज. शास्त्र शास्त्री) को मद्रम पैरवी व मद्रम दायरी
में खारिज किया जाता है। पञ्जावली फौजल सुधार होकर
बाद तकमील दायरेल दफ्तर है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

